



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

11AA 01-6071

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

प्रकार-26

(नियम 4-क देखिए)

19-2/2015 निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अम्बथी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र।

मैं श्री. चिन्मय कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री श्री. सुरेश कुमार आयु 36 वर्ष, जो निवासी हैं और उपरोक्त निर्वाचन में अम्बथी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ/शपथपत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गये हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी)

मेरे विरुद्ध माननीय न्यायालय में निम्न वाद लम्बित है-

- गणना/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं 748
- पुलिस थाना (थाने) 501 जिला या जिले 501 राज्य PUA
- संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए अम्बथी आरोपित किया गया है- 738
- न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरघना की गई है 738

Singh

- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरहित किया गया था/किए गए थे- NA
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है NA

2 मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं उठराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया गया है।
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष उठराया गया और दंडादिष्ट किया गया है, तो यह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):-

- (i) मागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं- NA
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है- NA
- (iii) पुलिस थाना (थाने) NA जिला (जिले) NA राज्य MA
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है- NA
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गये थे- NA
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं- NA

स्थान- देहरादून।

के हस्ताक्षर

तारीख- 11-01-12

SA
अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तारीख बात छिपायी नहीं गई है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख

को सत्यापित किया।



Shanti Prasad Prigalwan

SA
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

SA
11-1-12

Shanti Prasad Prigalwan
Notary Public
Dehra Dun, India
Phone: 0188-2611114
Mob: 9896044224